

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- शक्तिसिंह भाटी, आर० ए० एस
राजस्व वाद संख्या :- 25/2017 वाद

वादीपक्ष :-

1. टमु पिता दौला पत्नि प्यारचन्द चमार निवासी कोटडी तह०- रेलमगरा

--: बनाम :-

प्रतिवादीपक्ष :-

1. सुखी विधवा दौला चमार निवासी कोटडी, तह०- रेलमगरा
2. भैरी पिता दौला पत्नि गोपु चमार निवासी कानाखेडा, तह०- भोपालसागर, जिला चित्तोडगड़।
3. वरदी विधवा चुना चमार निवासी कोटडी, तहसील रेलमगरा
4. माधु पिता गणेश चमार निवासी कोटडी, तहसील रेलमगरा
5. लेहरू पिता गणेश चमार निवासी कोटडी, तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से :- अधिवक्ता- सी०एस० शक्तावत

प्रतिवादी की ओर से :- अधिवक्ता- -

में इस आशय में दिनांक 28/02/2018 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

विभाजन प्रस्ताव

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
01	टमुबाई पिता दौला जटिया सा. देह खातेदार	898 / 1	02-13	0.78
		896 / 1	00-15	0.38
	योग	किता -02	03-08	1.16
02	वरदी बेवा चुना 159/265, भैरीबाई पिता दौला, सुखीबाई पति स्व. दौला 106/265 सा.देह खातेदार	898 मीन	08-09	2.55
		899	02-03	6.02
		901	01-17	6.12
		902	00-16	0.72
		किता -04	13-05	15.41
03	वरदी बेवा चुना 37/136, भैरीबाई पिता दौला, सुखीबाई पति स्व. दौला 25/136, माधु, लेहरू पिता गणेश 74/136	896 मीन	00-11	0.27
		893	03-02	7.99
		894	03-03	8.48
		897	01-14	0.85
		किता -04	08-10	17.59

टर
सी)

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक अंकन हेतु तहसीलदार नगरा को लिखा जावें। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का जुज हिस्सा रहेगा। यदि भी प्रकार से भूमि रहन हो तो उसे यथावत रखा जावें।

आज दिनांक 28/02/2018 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।



200
(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उप खण्ड लेखाधिकारी)
रेलमगरा